BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 17 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 02 आरोपी को 03-03 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त इरदीश कुरैशी व मुन्ना कुरैशी पुत्रगण नूरमौहम्मद निवासीगण मौ0 कसाईवान कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर हत्या एवं जानलेवा जैसे अपराध करके जनता व आस-पास के क्षेत्र में भय व्याप्त करना व अवैध धन अर्जित करने जैसी दुस्साहसिक अपराध कारित करने पर दिनांक 22.02.2007 को थाना डिबाई पर मुअसं- 43/2007 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.05.2007 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 17.02.2024 को मा0 न्यायाल स्पेशल गैंगस्टर एक्ट/एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इरदीश कुरैशी व मुन्ना कुरैशी को 03-03 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त इरदीश कुरैशी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 329/06 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 352/06 धारा 3(2) NSA थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 43/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 123/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त मुन्ना कुरैशी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 315/06 धारा 302/307/34/504/506 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 328/06 धारा 25ए शस्त्र अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 43/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर